संख्या:12/2023/684ई-2/तेरह-2023-134687

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 अप्रैल, 2023

विषयः- मे. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि. (डिस्टिलरी डिवीजन), जंगरौली पुल, जनपद पीलीभीत की क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन के अन्तर्गत स्थापित 60 कि.ली. क्षमता के शीरे पर आधारित प्लान्ट को शीरे के साथ-साथ दोहरी फीड अर्थात् अनाज (ग्रेन) से रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-310/दो-प्रा.डी.-156, दिनांक 20-02-2023 एवं पत्र संख्या:जी-326/दो-प्रा.डी.-156, दिनांक 17-03-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-03-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-672ई-2/तेरह-2023-134687, दिनांक 31-03-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-02-2023 एवं 17-03-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मे. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि. (डिस्टिलरी डिवीजन), जंगरौली पुल, जनपद पीलीभीत को पूर्व से स्वीकृत क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर के अन्तर्गत स्थापित 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर शीरे पर आधारित प्लान्ट को ड्यूल मोड अर्थात् शीरे के साथसाथ ग्रेन से 40 प्रतिशत रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए. तथा शेष 60 प्रतिशत एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: पालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in